तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म से मुताबिक में जारी हुए
23/7/19-	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उप०। पत्रावली में प्राप्त फर्द बेंटवारा रिपोर्ट पर अधिवक्ता वादी की बहस को सुना गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्राप्त फर्द बेंटवारा स्वीकार करते हुए, दावा अंतिम डिक्रि किये जाने का निवेदन किया। अतः वाद वादी का अ०प्र० 53 सि०प्र० का मुताबिक फर्द बेंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। विन्दुवार निर्णय पृथक से लिखा जाकर उद्घोषित किया, डिक्री तैयार कर आपूर्ति की गई, डिक्री की प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार बेरी को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर मिसल से दाखिल हो। [signature] सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेरी (भिवाडी)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 113/2014

बालूलाल पिता रतिराम जी जाति गुर्जर निवासी करलाव तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

वादी

बनाम

1. भीमा पिता कजोड जी जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तहसील बेगूँ
2. किशोर पिता कजोड जी जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तहसील बेगूँ
3. रतिराम पिता कजोड जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तहसील बेगूँ
4. राजिया पिता हेमा जी जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तहसील बेगूँ
5. नन्दा पिता छोगा जी जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तहसील बेगूँ
6. मु0नानी विधवा छोगा जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तहसील बेगूँ
7. चम्पालाल पिता भवानाजी जाति धाकड निवासी रामनगर तहसील बेगूँ
8. खाना पिता कालू जी जाति गर्जर निवासी भवानीपुरा तहसील बेगूँ
9. भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
10. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर महोदय जी चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित :: श्री सी.पी.शर्मा
अधिवक्ता वादी
श्री के.सी.चाष्टा
श्री तूफानसिंह
अधिक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 23.07.2019

निर्णय वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी.शर्मा द्वारा वाद प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम भवानीपुरा प0ह0 खेडी तहसील में खाता सं. 28 में वादी के कब्जे काश्त एवं हिस्सेदारी में निम्न आराजीयात स्थित हैः

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा
28	147	0.56
	148	0.02
	150	0.14
	156	0.46
	162	0.05
	165	0.49
	173	0.06
	175	0.46
	176	0.39
	177	0.34
	किता–10	2.97है0

उक्त वर्णित आराजीयात मेंवादी काकुल हिस्सा 2/9 प्लस 19/96 फुल हिस्सा 121/288 क्षैत्रफल 1.2478 हैक्टर भूमि है, शेष भूमि अन्य सहखातेदारों की राजस्व रेकार्ड जमाबंदी खाता संख्या 28 अनुसार दर्ज है।

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चितौडगढ़)

Scanned by CamScanner

यह कि ग्राम भवानीपुरा में ही खाता संख्या 13 में खसरा नम्बर 178 रकबा 0.3700 हैक्टर एवं 179 रकबा 0.4900 हैक्टर कुल किता– 2 कुल रकबा0.8600 हैक्टर भूमि स्थित है इस भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा भूमि है जिस पर वादी अपने हिस्सेअनुसार काबिज हो काश्त कर रहा है इस वर्णित आराजीयात में वादी का हिस्सा 0.43 हैक्टर बनता है, शेष हिस्सा मेंसे 1/3 प्रतिवादी संख्या 7 का व प्रतिवादी संख्या 8 का 1/6 हिस्सा निहित है। उक्त आराजी कामीटसएवं बाउण्ड्स केअनुसार भूमि काविभाजन वादीएवं प्रतिवादीगण केमध्यकिया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है। वाद कारण दिनांक 01.07.2014 को वादी ने प्रतिवादीगण से अपनी सहमतिसे तहसील में चलकर राजस्व रेकार्ड हिस्सा अनुसार विभाजन कराने की कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः वादी न्यायालय से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है कि :

1. कि मौजा भवानीपुरी पटवारी हल्का खेडी की उक्त वाद पत्र की कलमसंख्या 28 में अंकित आराजी संख्या 147 रकबा 0.56 हैक्टर, 148 रेगा 0.02 है0, 150 रकबा 0.14 है0, 156 रकबा 0.46 हैक्टर, 162 रकबा 0.05 हैक्टर, 165 रकबा 0.49 हैक्टर, 173 रकबा 0.06 हैक्टर, 175 रकबा 0.46 हैक्टर,176 रकबा 0.39 है0, 177 रकबा 0.34 हैक्टर वर्णित संयुक्त खातेदारी की आराजीयात का मिट्स एण्ड बाउंडस एवं कब्जे के आधारपर वादीगण का 121/288 रकबा 1.2478 हैक्टर भूमि का विभाजन किए जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावे।
2. कि मौजा भवानीपुरा प0ह0 खेडी की खाता संख्या 13 में अंकित आराजी संख्या 178 रकबा 0.3700 हैक्टर व आराजी संख्या 179 रकबा 0.4900 हैक्टर कुल किता दो कुल रकबा0.8600 हैक्टर वर्णित संयुक्त खातेदारी की आराजी का मिट्सएण्ड बाउंडस एवं कब्जे के आधार पर वादी का 1/2 हिस्सा भूमि का विभाजन किए जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावें। वाद पत्र की कलमसंख्या एक व तीन में वर्णित संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक से खातादर्ज किया जाने की डिक्री प्रदान की जावें।

उपरोक्त वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण 7 व 8 की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.चाष्टा एवं श्री तूफान सिंह द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया जबकि प्रतिवादी सं. 1 से 6 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये,पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का मौजा भवानीपुरा प0ह0 खेडी की वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमिपर कभी कब्जा काश्तनहीं रहा हैं । वादी ने प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारीएवं कब्जे काश्त की भूमि मेसे बिना कानूनन विभाजन कराये भूमि कय की है एवं वादी स्वयं एक स्टेन्जर पर्सन होने के आधारपर विभाजन कराये जाने का अधिकारी नहीं है। वादीका मौके पर कभी भी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान मेंकोई कब्जा काश्त है। वादी का वाद पत्र चलने योग्य नहीं है, वर्णित भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का हक हिस्सा निहित होने कीजानकारी वादी को होते हुए भी वादी ने भूमि कय की है, वादी न्यायालय श्रीमान से अनुतोष प्राप्त कर पाने का अधिकारी नहीं है।

अतः न्यायालय से निवेदन है कि वादी का वादपत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

वाद पत्र में प्रतिवादी का जवाब दावा प्रस्तुत होने पर तनकी पत्र तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया, साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जिन पर अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जिरह कर साक्ष्य वादी की कलमबद्ध की गई। पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादीगण में विचारधीन थी, उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प खेडी पर दिनांक 11.06.2018 को रखाया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण को सुन कर निम्न आदेश प्राथमिक डिकी किये जाने का दिया गयाः–

" <u>अतःवाद वादी का धारा 53 आर.टी.एक्ट का स्वीकार कर आदेश दियाजाताहै कि मौजा भवानीपुरा प0ह0 खेडी आराजी नं0 147, 148, 150, 156, 162, 165, 173, 175, 176, 177, कुल कीता– 10 मेंवादी का 121/888 हक हिस्सा रकबा 1.24778 हैक्टर भूमि व आराजी नं. 178, 179, कुल किता–2 में वादी का 1/2 हक हिस्से कभूमि का मीट्सएण्ड बाउण्ड्स के</u>

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

आधारपर व कब्जेनुसार भूमि का विभाजन करने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000/– रूपये पर कमिश्नर नियुक्त कर डिक्री पर्चा अलग से कायम किया जाकर पत्र जारी किया जावे"

राजस्व लोक अदालत में जारी प्राथमिक डिक्री की पालना हेतु प्रति तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई गई जिसकी पालना में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 566 दिनांक 14.06.2019 से फर्द बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की गई। पत्रावली में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर अधिवक्ता वादी की बहस ध्यानपूर्वकसुनी गई, अधिवक्ता वादी द्वारा प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार आराजी का विभाजन किया जाकर दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया गया।

अतःवाद वादी का अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा भवानीपुरा प0ह0 खेडी की आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है:–

1. श्री बालू पिता रतिराम गूर्जर सा. करलाव तहसील बिजोलिया जिला भीलवाडा खातेदार के खाते :

आराजी नम्बर	रकबा
175	0.46
176	0.39
177	0.34
179 मेसे	0.41
योग– 4	1.60हैक्टर

2. श्री प्यारीबाई पत्नी उँकार 48/167, चन्दाबाई पत्नी मांगीलाल 32/167 रत्तीराम पोखर पिता नाराण , राजीया पिता हेमा नन्दा पिता छोगा मु. नानी बेवा छोगा भोजराज हाबुलाल काशीबाई पिता भंवरलाल मु. बदामबाई पत्नी भंवरलाल 87/167 गुर्जर सा. देह खातेदार के खाते :

आराजी नम्बर	रकबा
147	0.56
148	0.02
150	0.14
156	0.46
162	0.05
165	0.49
173	0.06
योग– 7	1.78हैक्टर

3. श्री चम्पा पिता भवाना धाकड सा. रामनगर 2/3 खाना पिता कालू 1/3 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार के खाते :

आराजी नम्बर	रकबा
178 मेसे	0.35
179 मेसे	0.06
योग– 2	0.41हैक्टर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौडगढ)

Scanned by CamScanner

4. श्री चम्पालाल पिता भवाना धाकड सा. रामनगर 1/3 खाना पिता बालु 1/6गुर्जर सा.देह बालूलाल पिता रत्तीराम हिस्सा 1/2 गुर्जर सा. करलाव तहसील बिजोलिया के खाते :

आराजी नम्बर	रकबा
178 मे से	0.02 रास्ता
179 मे से	0.02 रास्ता
योग – 2	0.04 हैक्टर

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता राजस्व रिकोर्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

23.7.19

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 113/2014

बालूलाल पिता रतिराम जी जाति गुर्जर निवासी करलाव तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

वादी

बनाम

1. भीमा पिता कजोड जी जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तहसील बेगूं
2. किशोर पिता कजोड जी जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तहसील बेगूं
3. रतिराम पिता कजोड जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तहसील बेगूं
4. राजिया पिता हेमा जी जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तहसील बेगूं
5. नन्दा पिता छोगा जी जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तहसील बेगूं
6. मु0नानी विधवा छोगा जाति गुर्जर निवासी भवानीपुरा तहसील बेगूं
7. चम्पालाल पिता भवानाजी जाति धाकड निवासी रामनगर तहसील बेगूं
8. खाना पिता कालू जी जाति गर्जर निवासी भवानीपुरा तहसील बेगूं
9. भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूं जिला चितौडगढ़
10. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर महोदय जी चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

अतःवाद वादी का अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा दावा अंतिम डिकी किया जाता है, मौजा भवानीपुरा प0ह0 खेडी की आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है:-

1. श्री बालू पिता रतिराम गूर्जर सा. करलाव तहसील विजोलिया जिला भीलवाडा खातेदार के खाते :

आराजी नम्बर	रकबा
175	0.46
176	0.39
177	0.34
179 मेसे	0.41
योग– 4	1.60हैक्टर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

2. श्री प्यारीबाई पत्नी उँकार 48/167, चन्दाबाई पत्नी मांगीलाल 32/167 रत्तीराम पोखर पिता नाराण , राजीया पिता हेमा नन्दा पिता छोगा मु. नानी बेवा छोगा भोजराज हाबुलाल काशीबाई पिता भंवरलाल मु. बदामबाई पत्नी भंवरलाल 87/167 गुर्जर सा. देह खातेदार के खाते :

आराजी नम्बर	रकबा
147	0.56
148	0.02
150	0.14
156	0.46
162	0.05
165	0.49
173	0.06
योग– 7	1.78हैक्टर

3. श्री चम्पा पिता भवाना धाकड सा. रामनगर 2/3 खाना पिता कालू 1/3 जाति गुर्जर सा.देह खातेदार के खाते :

आराजी नम्बर	रकबा
178 मेसे	0.35
179 मेसे	0.06
योग– 2	0.41हैक्टर

4. श्री चम्पालाल पिता भवाना धाकड सा. रामनगर 1/3 खाना पिता बालु 1/6गुर्जर सा.देह बालूलाल पिता रत्तीराम हिस्सा 1/2 गुर्जर सा. करलाव तहसील बिजोलिया के खाते :

आराजी नम्बर	रकबा
178 मे से	0.02 रास्ता
179 मे से	0.02 रास्ता
योग – 2	0.04 हैक्टर

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता राजस्व रिकोर्ड में पृथक पृथक दर्ज किया जावें।

निर्णय डिक्री आज दिनांक 23.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से न्यायालय में जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को डिक्री की पालना हेतु दी जाती है।

Scanned by CamScanner